न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 2022/286

ज्याना बाई पत्नी रामनारायण जाति काछी निवासी बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

—अपीलांट

बनाम

1. रामदयाल पुत्र देवीलाल जाति काछी निवासी बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. किशनगोपाल पुत्र देवीलाल जाति काछी निवासी बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. धन्नी पुत्री देवीलाल पत्नि प्यारेलाल जाति काछी निवासी धाकडखेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. रतन बाई पुत्री देवीलाल पत्नि घांसीलाल जाति काछी निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
5. मंजू पुत्री देवीलाल पत्नि सोहनलाल जाति काछी निवासी नटावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
6. संजू पुत्री देवीलाल पत्नि महेन्द्र जाति काछी निवासी खेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
7. किशनगोपाल दत्तक पुत्र चिमनलाल जाति काछी निवासी बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
8. आबदा बाई धर्मपत्नी रामचन्द्र जाति काछी निवासी धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री कुलदीप सिंह गौड, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पो0 1, 3 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 11.08.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 03/2012 मे पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वाद संख्या 67/01 वास्ते घोषणा व बंटवारा में दिनांक 23.02.2012 को विवादित भूमि वाके ग्राम बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 218, 219, 246, 247, 343, 344, 344/421 कुल किता 7 रकबा 5.07 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 7, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 के संबंध में पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की इजराय हेतु प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया रामप्यारी की ओर से प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ईजराय दर्ज रजिस्टर की जाकर डिक्री अनुसार पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को पत्र प्रेषित किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा डिक्री दिनांक 23.02.2012 के अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत की गई। दिनांक 16.07.2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की पालना रिपोर्ट के आधार पर डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना होना स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णित किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील इस न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत की। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्टगण संख्या 1, 3 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील संख्या 2190/2019 के निर्णय उपरान्त तथा नजरसानी प्रस्तुत करते समय दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी/अपीलांट के अधिवक्ता की जानकारी में आया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना हेतु इजराय प्रार्थना–पत्र संख्या 03/2012 बउनवान रामप्यारी बनाम देवीलाल वगैरा प्रस्तुत हुआ था जिसके अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना हुई है। इजराय प्रार्थना–पत्र के बारे में जानकारी होने पर इजराय प्रार्थना–पत्र व पालना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर नकल इजराय प्रार्थना–पत्र आदेशिकाए तथा पत्र कमाकं की नकल दिनांक 21.10.2022 को प्राप्त हुई। तब प्रार्थी/अपीलांट को

जानकारी में आया कि इजराय प्रार्थना–पत्र में कोई पालना रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। पालना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर इजराय प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा अपने पत्र के साथ पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने का नोट अंकित किया गया है। उक्त नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर अपील अवधि मध्य पेश है। अपीलांट वृद्ध महिला है, कानून से अनभिज्ञ हे। अपीलांट को कानून की जानकारी नहीं होने तथा सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को अपने अधिकारों के सम्बंध में तथा अपील करने के सम्बंध में विधिवत जानकारी नहीं दिये जाने के कारण अपीलांट तत्समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए देरी को क्षमा कर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि यहकि अपील से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 837 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 838 रकबा हेक्टेयर, खसरा संख्या 0.5200 हेक्टेयर, खसरा संख्या 839 रकबा 0.77 840 रकबा 2.2100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 841 रकबा 0.3100 हेक्टेयर खसरा संख्या 842 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कुल 6 किता कुल 4.5600 हेक्टयर वाके ग्राम देवली अरब में विस्थित है। इसी तरह कृषि भूमि खसरा संख्या 7 रकबा 1.4400 हेक्टेयर खसरा संख्या 843 रकबा 0.1100 हेक्टेयर वाके ग्राम देवली अरब पटवार हल्का देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में विस्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पिता देवीलाल रेस्पोडेन्ट संख्या 7 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी उक्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद क्रमांक 67/ 2001 वास्ते घोषणा एवं बंटवारा सन 1988 में बउनवान रामप्यारी वगैरा बनाम देवीलाल के नाम से उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा के समक्ष विचाराधीन था। विचाराधीन रहने के दौरान ही याद पत्र में रामप्यारी की मृत्यु होने पर उसके वारिसान में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 का नाम दर्ज हुआ था तथा प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल की वाद विचारण के दौरान मृत्यु होने पर उसके स्थान पर उसके विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 का नाम वाद पत्र में बतौर पक्षकार दर्ज हुआ था। माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा के समक्ष विचाराधीन वाद को उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा ने दिनांक 23.02.2012 को निर्णय पारित कर खातेदारान के मध्य खातेदारी अधिकार घोषणा बंटवारा की डिकी भी दिनांक 23.02.2012 को पारित की गई थी। निर्णय व डिकी अनुसार " वाके ग्राम

बोरखेडा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नं. 218,219, 246, 247, 343, 344/421 कुल किता 7 रकबा 5.07 हेक्टेयर पर प्रतिवादी कम 1 देवीलाल के कायम मुकाम (किशनगोपाल के अलावा) को वाके ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा की आराजी खानप० 837, 838, 839,840, 841, 842, 843 कुल किता 7 रकबा 4.67 हेक्टेयर भूमि पर वादीनी कम 2 आबदा बाई हिस्सा 1/3 एवं वादीनी कम 3 ज्याना बाई हिस्सा 2 / 3 तथा ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा की ही आराजी खसरा नं. 7 रकबा 1.44 में से 1.28 हे० आराजी का प्रतिवादी संख्या 2 किशनगोपाल को पृथक पृथक खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार पक्षकारान के उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक अंकित की जाये। तदनुसार तहसीलदार लाडपुरा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। " उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02. 2012 को पेश की गई थी। इज़राय प्रार्थना पत्र में निर्णय व डिक्री की पालना हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के नाम से कार्यालय आदेश कमांक राजस्व/67/2001/163 दिनांक 28.02.2012 जारी कर यह लेख किया गया कि उक्त प्रकरण में इस न्यायालय की फाईनल डिक्री दिनांक 23.02.2012 की प्रति पत्र के साथ संलग्नकर भिजवायी जा रही है। डिक्री अनुसार पालना कर पालन रिपोर्ट न्यायालय में भिजवाया जाने हेतु सुनिश्चित करने बाबत आदेशित किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा के पत्र कमांक / राजस्व /67/01/163 दिनांक 28.02.2012 के साथ संलग्न निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 723 दिनांक 29.02.2012 खोला जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 29.06. 2012 को माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय में प्रस्तुत कर डिक्री की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्षं प्रस्तुत करने पर दिनांक 16.07.2012 इजराय प्रार्थना पत्र में आदेश फरमा दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध दो अपीले राजस्व अपील अधिकारी कोटा में आबदा बाई बनाम कलावती वगैरा एवं कलावती बनाम देवीलाल प्रस्तुत की गई थी। उक्त दोनों अपीलो को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णित किया जाने के उपरान्त एक अपील 1659/2014 कलावती बनाम आबदा वगैरा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई थी तथा एक अपील अपीलान्ट के द्वारा 2190/2019 ज्याना बाई बनाम कलावती वगैरा प्रस्तुत की गई थी। जिसमें दिनांक 02.06.2022 को निर्णय किया जा चुका है। अपील संख्या 2190/2019 में राजस्व मण्डल अजमेर से पारित निर्णय के विरूद्ध नजरसानी संख्या 4037/2022 वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। जहाँ से अन्तिम निर्धारण किया जाना शेष है। उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 में प्रतिवादी संजू बाई का नाम दर्ज होने से

रह जाने पर प्रार्थना पत्र निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 को संशोधन किये जाने एवं संजूबाई का नाम निर्णय व डिक्री में अंकित किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जो दिनांक 01.03. 2012 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा ने दिनांक 30.03.2012 को आदेश पारित कर संजू बाई का नाम निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 में दर्ज कर संशोधित डिक्री जारी करने का आदेश प्रदान किया गया था। उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 में संशोधन किया जाकर संशोधित डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिनांक 30.03.2012 को जारी किये गये थे। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा संशोधित डिक्री जारी किये जाने से पूर्व ही पूर्ववत डिक्री दिनांक 2302.2012 की पालना कर नामान्तकरण संख्या 723 ग्राम देवली अरब तथा नामान्तकरण संख्या 301 ग्राम बोरखेडा दिनांक 29.02.2012 को तस्दीक कर पालना कर दी गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 723 व नामान्तकरण संख्या 301 की पालना कार्यवाही संशोधित डिक्री जारी किये जाने के पूर्व ही कर दी गई है। उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2012 से असंतुष्ट होकर अपील रेस्पोडेन्ट आबदा बाई के द्वारा आबदा बाई बनाम देवीलाल वगैरा अपील संख्या 12/145 तथा मृतक देवीलाल के वारिसान के द्वारा भी एक अपील कलावती वगैरा बनाम आबदा वगैरा अपील संख्या 12 / 144 राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की हुई थी। उक्त दोनों अपीलों के विचाराधीन होने की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को थी तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 से वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों पक्षकार सहमत नही है। अपील विचाराधीन है। जिसकी जानकारी रखने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा अपनी पालना उपरोक्त के सम्बन्ध में इन्द्राज करते हुए गफलत लापरवाही व जल्दबाजी में अमल में लायी गई है जो संशोधित डिक्री किये जाने एवं अपील विचाराधीन होने के बावजूद भी की गई है। इस कारण भी इजराय प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पूर्णतया रूप से पालना नही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा न तो पक्षकारान के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट स्वयं के द्वारा तैयार किया गया है और न ही पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव के बारे में नोटिस अथवा सूचना नही दिये जाने व मौका स्थिति पर पक्षकारान की उपस्थिति के बिना ही नामान्तकरण संख्या 723 दिनांक 29. 02.2012 एव नामान्तकरण संख्या 301 बिना विधिक प्रकिया अपनाऐं तस्दीक कर विधि विरूद्ध पालना की गई है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा की गई पालना की कार्यवाही को दूषित करता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के कार्यालय पत्र क्रमांक भू. अ./12/5761 दिनांक 27.06.2012 से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02. 2012 की

अनुपालना में दिनांक 02.07.2012 को प्रस्तुत पालना रिपोर्ट के पूर्व ही पालना में वर्णित कृषि भूमि के बाबत दो अपीले कमांक 12/145 आवदा बाई बनाम देवीलाल तथा क्रमांक 12/144 कलावती वगैरा बनाम आबदा वगैरा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष दिनांक 28.03.2012 को प्रस्तुत हो चुकी थी। जिसमें स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ था। अपील विचाराधीन होने की सूचना रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी । उपरोक्त के कारण भी नामान्तकरण कार्यवाही दूषित होने से नामान्तकरण खारिज किया जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 को किया गया है। जिसकी पालना कराये जाने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2012 को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 27. 02.2012 को इजराय प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर डिक्री अनुसार पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 15.03.2012 को पेश हो, आदेशित किया गया था। अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को दिनांक 15.03.2012 को पालना रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय कोटा के पत्र क्रमांक / राजस्व/67/01/163 दिनांक 28.02.2012 के साथ संलग्न निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02. 2012 की पालना राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के की जाकर न्यायालय आदेश के प्रतिकूल पालना कर नामान्तकरण अनुसार नहीं संख्या 723 दिनांक 29.02.2012 व नामान्तकरण संख्या 301 को विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया है। उक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने दिनांक 28.02.2012 को प्राप्त पत्र कमांक राजस्व/67/01/163 की पालना में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐं . नियमों का उल्लघन खातेदारान को व पक्षकारान को बिना सूचित किये ही दिनांक 29.02 2012 को अर्थात एक दिन की कार्यवाही में ही नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा अपने पत्र के साथ इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से उसे ही पालना माना जाकर इजराय प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाने का आदेश दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने से पूर्ण रूप से खारिज किये योग्य है। यह कि उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 के आदेश की पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2012 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था तथा प्रार्थना पत्र निर्णय व डिक्री में संशोधन किये जाने का दिनांक 01.03.2012 को प्रस्तुत हुआ था। न्यायालय डिक्री की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 27.06.2012 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा ने डिक्री की पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र में पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के नाम दिनांक 28.02.2012 को जारी किया गया था। जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने दिनांक 29.02.2012 को नामान्तकरण संख्या 723 ग्राम देवली अरब व 301 ग्राम बोरखेडा तस्दीक किया गया है। उक्त पालना डिक्री में संशोधन किये जाने से पूर्व ही दी गई है। साथ

ही पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करते समय डिक्री में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अपील अधिकारी कोटा में दो अपीले विचाराधीन नहीं हैं जिनमें स्थगन किया हुआ था । उपरोक्त तथ्यों को भी नजरअन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा बिना बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए बिना पक्षकारों (खातेदारान) की सहमति एवं उपस्थिति के ही पालना की गई है। जो विधि विरूद्ध होने से इजराय का आदेश निरस्त होने योग्य है। अपील संख्या 2190 / 2019 के निर्णय उपरान्त तथा नजरसानी प्रस्तुत करते समय दस्तावेजो का अवलोकन करने पर अपीलान्ट के अधिवक्ता की जानकारी में आया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना हेतु एक इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 03/2012 बउनवान रामप्यारी बनाम देवीलाल वगैरा प्रस्तुत हुआ था। जिसके अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना हुई है। इजराय प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी होने पर इजराय प्रार्थना पत्र व पालना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 17110/2022 .को प्रस्तुत किया गया, जिस पर नकल इजराय प्रार्थना पत्र आदेशिकाएं तथा पत्र कमांक की नकल दिनांक 21/10/22 को प्राप्त हुई । तब अपीलान्ट को जानकारी में आया कि इजराय प्रार्थना पत्र में कोई पालना रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । पालना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन पत्र दिनांक 311 10/22 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर इजराय प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा अपने पत्र के साथ पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया जाने का नोट अंकित किया गया है । उक्त नकल प्राप्त होने व जानकारी से अपील अन्दर अवधि मध्य पेश है। अपीलान्ट वृद्ध महिला है, कानून से अनभिज्ञ है। अपीलान्ट को कानून की जानकारी नही होने तथा सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को अपने अधिकारों के सम्बन्ध में तथा अपील करने के सम्बन्ध में विधिवत जानकारी नही दिये जाने के कारण अपीलान्ट तत्समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सकी। फिर भी यदि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर माना जावे तो मियाद अवधि को कण्डोन करने हेतु अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर इजराय संख्या 03/2012 रामप्यारी बनाम देवीलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.07.2012 को निरस्त फरमाया जाकर इजराय में पुनः सुनवाई की जाकर राजस्व मण्डल नियमानुसार निर्णय व डिक्री की पालना करवायी जाने के आदेश प्रदान करते हुए पूर्व में हुई पालना दिनांक 29.02.2012 की समस्त प्रविष्टियों को विधि विरूद्ध मानते हुए निरस्त किये जाकर नये सिरे से कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी के तहत सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के

प्रार्थना–पत्र को निर्णित किया जाना आवश्यक है। गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को सुना जाना आवश्यक है। इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के भी न्यायिक दृष्टांत है। इजराय आदेश दिनांक 16.07.2012 इनकी जानकारी प्रारंभ से थी। अपील के अभिवचन व इनके कथनों से स्पष्ट है कि इन्हें सम्पूर्ण प्रकरण की प्रारंभ से जानकारी थी। प्रश्नगत निर्णय व डिक्री के कियान्वयन के बाद इन्होने अपनी भूमि को विक्रय किया है। खुद ज्यानाबाई ने भूमि विक्रय की है। हस्तगत आदेश दिनांक 16.07.2012 की अपील सन् 2022 मे प्रस्तुत की गई है तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अपील में हुए गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण अपीलांट ने नहीं बताया है। हस्तगत प्रकरण व निर्णय की इन्हे प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट स्वच्छ हस्तों से नहीं आए है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरूद्ध अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.02.2012 अनुसार इजराय दर्ज रजिस्टर कि गई तथा डिक्री अनुसार पालना हेतु लिखा जाना अंकित है। प्रश्नगत इजराय में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की है। तथा आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 18.11.2022 को की गई है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस में यह स्पष्ट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2012 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी कोटा में भी अपील प्रस्तुत की गई तथा राजस्व अपील अधिकारी द्वारा उक्त अपील पर दिनांक 28.01.2014 को निर्णय व डिक्री जारी की गई। इसके पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भी प्रकरण की अपील हुई तथा अधिवक्ता अपीलांट ने स्वयं कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि प्रश्नगत अपील के गुणावगुण पर निष्कर्ष देने से पूर्व हस्तगत अपील में लिमिटेशन के बिन्दु को निस्तारित किया जाना चाहिए। हमारे मत में गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व हस्तगत अपील में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को निस्तारित किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का अवलोकन किया, इसमें प्रार्थी अपीलांट ने अंकित किया है कि, "अपील संख्या 2190 / 2019 के निर्णय उपरान्त तथा नजरसानी प्रस्तुत करते समय दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्रार्थी / अपीलान्ट के अधिवक्ता

की जानकारी में आया कि निर्णय व डिकी दिनांक 23.02.2012 की पालना हेतु एक इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 03/2012 बउनवान रामप्यारी बनाम देवीलाल वगैरा प्रस्तुत हुआ था। जिसके अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2012 की पालना हुई है। इजराय प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी होने पर इजराय प्रार्थना पत्र व पालना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 17–10–22 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर नकल इजराय प्रार्थना पत्र आदेशिकाएं तथा पत्र क्रमांक की नकल दिनांक 21.10.2022 को प्राप्त हुई। तब प्रार्थी / अपीलान्ट को जानकारी में आया कि इजराय प्रार्थना पत्र में कोई पालना रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। पालना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर इजराय प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा अपने पत्र के साथ पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया जाने का नोट अंकित किया गया है। उक्त नकल प्राप्त होने व जानकारी से अपील अन्दर अवधि मध्य पेश है अपीलान्ट वृद्ध महिला है, कानून से अनभिज्ञ है। अपीलान्ट को कानून की जानकारी नही होने तथा सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को अपने अधिकारों के सम्बन्ध में तथा अपील करने के सम्बन्ध में विधिवत जानकारी नही दिये जाने के कारण अपीलान्ट तत्समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सकी। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए देरी को क्षमा कर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।" परन्तु इस प्रार्थना–पत्र में यह कहीं स्पष्ट अंकित नहीं है कि किस निश्चित तिथि को इजराय प्रार्थना–पत्र की जानकारी हुई। अपीलांट का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि उन्हें अपील संख्या 2190/2019 को निर्णय उपरांत नजरसानी प्रस्तुत करते समय दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्राथी/अपीलांट की जानकारी में आया कि निर्णय व डिकी दिनांक 23.02.2012 की पालना हेतु एक इजराय प्रार्थना–पत्र संख्या 03/2012 बउनवान रामप्यारी बनाम देवीलाल वगैरा प्रस्तुत हुआ था। अपीलांट जमना बाई ने राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील संख्या 12/145 प्रस्तुत की थी। पक्षकारों के मध्य वर्तमान में भी प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे लम्बित होना प्रकट हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि उसे प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.07.2012 की जानकारी नहीं थी। प्रकरण में जिस प्रकार पक्षकारों के मध्य विभिन्न राजस्व न्यायालयों में विवाद रहा है उससे स्पष्ट है कि अपीलांट को हस्तगत प्रकरण के सम्बंध में प्रारंभ से ही समुचित जानकारी थी। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत निर्णय व डिकी के पश्चात् स्वयं अपीलांट ने भूमि विकय की है। जहॉ तक गुणावगुण पर अधिवक्ता अपीलांट के प्रमुख तर्क है कि बंटवारे के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई तथा अपील विचाराधीन रहते हुए पालना की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 723 व नामान्तरकरण संख्या 301 को विधि विरूद्ध स्वीकृत

हुए आदि। हमारे मत में गुणावगुण से सम्बंधित ये बिन्दु इजराय में उठाने योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त बिन्दुओं का निर्णय इजराय में नहीं किया जा सकता तथा हस्तगत प्रकरण में तो राजस्व अपील अधिकारी कोटा, एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक अपील हुई है, अतः इस स्तर पर इन बिन्दुओं को गुणावगुण पर उठाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः हमारे मत में हस्तगत अपील लगभग 10 वर्ष 4 माह बाद प्रस्तुत की गई है। इस गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण बताने में अपीलांट असफल रहे है। अतः अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किया जाना उचित है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 03/2012 मे पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 यथावत रखा जाता है ।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 11.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रति/11

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 36, जाब्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/286

ज्याना बाई पत्नी रामनारायण जाति काछी निवासी बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र देवीलाल जाति काछी निवासी बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. किशनगोपाल पुत्र देवीलाल जाति काछी निवासी बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. धन्नी पुत्री देवीलाल पत्नि [illegible] जाति काछी निवासी धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. रतन बाई पुत्री देवीलाल पत्नि मांगीलाल जाति काछी निवासी धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
5. मंजू पुत्री देवीलाल पत्नि मोहनलाल जाति काछी निवासी [illegible] तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
6. संजू पुत्री देवीलाल पत्नि महेन्द्र जाति काछी निवासी [illegible] तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
7. किशनगोपाल दत्तक पुत्र छिगनलाल जाति काछी निवासी बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
8. आबदा बाई धर्मपत्नी रामचन्द्र जाति काछी निवासी धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

—प्रत्यर्थीगण

इजराय प्रार्थना–पत्र संख्या : 03/12

1. रामप्यारी बाई बेवा श्री मांगीलाल जाति काछी निवासी बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक नाम डिलिट)
2. आबदा बाई पत्नी रामचन्द्र जाति काछी निवासी धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. ज्याना बाई पत्नी रामकल्याण जाति काछी निवासी बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम —वादी

1. देवीलाल वल्तक पुत्र रामनारायण जाति काछी निवासी बोरखेडा मंडीपाडा लाडपुरा जिला कोटा (मृतक जरिये कायम मुकामान)
   1/1 कलावती बेवा देवीलाल जाति काछी निवासी बोरखेडा मंडीपाडा लाडपुरा जिला कोटा।
   1/2 रामदयाल पुत्र देवीलाल जाति काछी निवासी मंडीपाडा लाडपुरा जिला कोटा।
   1/3 किशनगोपाल पुत्र देवीलाल जाति काछी निवासी मंडीपाडा लाडपुरा जिला कोटा।
   1/4 धन्नीबाई पुत्री देवीलाल पत्नी श्री रामप्यारेलाल जाति काछी निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   1/5 रतनबाई पुत्री देवीलाल पत्नी घांसीलाल जाति काछी निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   1/6 मंजूबाई पुत्री देवीलाल पत्नी सोहनलाल जाति काछी निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. किशनगोपाल पुत्र देवीलाल जाति काछी निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 03/12 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 11.08.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह गौड तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01, 03 व 06 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 बहाल रखा जाता है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 11.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा